न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण अपील वाद संख्या– 07 / 2015

राज्य वनाम मो0 शाहजहॉ

–:: आदेश ::–

2511147

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद की कार्यवाही अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के पत्रांक– 2690–2 दिनांक– 08.09.2015 से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ की गयी है।

दिनांक 26.08.2015 को पुलिस अवर निरीक्षक वैजनाथपुर पुलिस शिविर श्री रूदल कुमार द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान ESSAR पेट्रोल पम्प पटुआहा पर गाड़ी संख्या JH-17E-2126 टैंक लॉरी से तीन व्यक्तियों (1) मो0 शहजहॉ, पिता– मो0 कासीम, ग्राम– देवना, थाना– बरौनी, जिला– बेगूसराय (2) दिवाकर कुमार, पिता– अनिल यादव, साकिन– मठाही, थाना एवं जिला– मधेपुरा (3) आलोक कुमार, पिता– राजेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम– बैजनाथपुर, थाना– सौरबाजार, जिला– सहरसा द्वारा उक्त गाड़ी से करीब 9000 लीटर किरासन तेल जिसमें से करीब 3000 लीटर किरासन तेल पेट्रोल पम्प में डाला जा रहा था पकड़ा गया तथा इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को दी गयी। प्राप्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1221/गो0 दिनांक– 26.08.2015 द्वारा ESSAR पेट्रोल पम्प पटुआहा को सील करते हुए संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सदर थाना में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सदर थाना में प्राथमिकी संख्या– 693/15 दिनांक– 26.08.2015 दर्ज करायी गयी तथा टैंक लॉरी संख्या– JH-17E-2126 में लदा हुआ लगभग 7000 लीटर किरासन तेल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1953 की धारा 6ए के अधीन जप्त कर अधिनियम की कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 155–1 दिनांक 01.10.2015 द्वारा मो0 शाहजहॉ (2) मो0 सलीम खॉ (3) तरूण यादव (4) आलोक कुमार उर्फ मृत्युंजय कुमार एवं (5) दिवाकर कुमार से कारण पृच्छा की मांग की गयी।

मो0 सलीम खॉ प्रतिपक्षी– 2 ने दिनांक 28.10.2015 के अपने कारण पृच्छा में कहा है उक्त टैंक लॉरी को इंडियन ऑयल कारपोरेशन बरौनी से पेट्रोलियम पदार्थ की ढुलाई का एग्रीमेन्ट एवं परमिट प्राप्त है तथा उसी के तहत लोडिंग प्राप्त हाने पर विनिर्दिष्ट गन्तव्य पर लॉरी को अनलोड किया जाता है। प्रतिपक्षी (1) मो0 शाहजॉ उक्त लॉरी का ड्राइवर है जो लॉरी को निदेशित पम्प पर खाली करने के बाद वापस आकर प्रतिपक्षी (2) को अनलोडिंग का चलान देकर लॉरी अपने घर पर ले जाकर लगाता था तथा अगली अनलोडिंग का आदेश मिलने पर लॉरी पुनः आई०ओ०सी० बरौनी ले जाता था। इसी क्रम में दिनांक 24.08.2015 को मनीगाछी, दरभंगा लॉरी खाली करने के बाद प्रतिपक्षी (2) को अनलोडिंग चलान देने के बाद लॉरी को अपने घर पर लगाने चला गया। अगली लोडिंग का कोई आदेश तत्काल प्रतिपक्षी (2) को प्राप्त नहीं था और प्रतिपक्षी (1) से कोई सम्पर्क भी नहीं हुआ। इस तरह लॉरी सहरसा क्यों और कैसे ले जाया गया तथा उसमें किरासन तेल कहॉ से आया की कोई जानकारी प्रतिपक्षी (2) को नहीं है और पकड़े गये किरासन तेल से भी प्रतिपक्षी (2) का कोई लेना–देना नहीं है। मामले की जानकारी प्रतिपक्षी (2) को समाचार पत्रों के माध्यम से हुई। अग्रतर प्रतिपक्षी (2) का कहना है कि विगत कुछ वर्षों से वे बुरी तरह से बीमार चल रहे है। इलाज के क्रम में ज्यादातर इन्हें बाहर रहना पड़ता है। फलतः लॉरी की मौजूदगी एवं हर वक्त फालो–अप रखने में वे समर्थ नहीं हो पाते है।

अपने कारण–पृच्छा में कहा है कि ESSAR पेट्रोल पम्प पटुआहा के तरूण कुमार मालिक है तथा आलोक कुमार उर्फ मृत्युंजय कुमार एवं दिवाकर कुमार पम्प के प्रहरी है। अग्रतर इनका कहना है कि श्री रूदल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को गलत सूचना देकर प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी तथा उन्हें गलत ढंग से इस वाद में फसाया गया है। इनहोंने अपने कारण पृच्छा में यह भी कहा है टैंक लॉरी पेट्रोल पम्प परिसर से नहीं बल्कि सड़क पर से पकड़ा गया है, जिसकी सम्पुष्टि संवाद सूत्रों के फोटो से भी होती है क्योंकि फोटोग्राफ में टैंक लॉरी के बैजनाथपुर आउट पोस्ट पर लगे रहना दिखता है। साथ ही पम्प के दोनों प्रहरी को गिरफ्तार कर पेट्रोल पम्प मालिक को फसाने की साजिश की गयी है। अग्रतर यह भी कहा गया है रात्रि में पेट्रोल पम्प बन्द था और टैंक की चाभी पम्प मालिक के पास थी जिसे पुलिस द्वारा उनके घर से ले जाया गया तो तीन हजार लीटर किरासन अनलोडिंग कर टैंक में भरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहाँ तक टैंक लॉरी का प्रश्न है तो प्रतिपक्षी (3), (4) एवं (5) को इससे कोई लेना–देन नहीं है। टैंक लॉरी भी पेट्रोल पम्प परिसर से जप्त नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी (3), (4) एवं (5) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा– 3 का कोई उल्लंधन नहीं किया है। टैंक लॉरी चालक मो0 शाहजहाँ ने कोई कारण–पृच्छा समर्पित नहीं किया।

प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक का क़हना है प्रतिपक्षीगण नामजद अभियुक्त है और बिना किसी कागजात के कालाबाजारी द्वारा किरासन तेल मंगवा कर डीजल में मिलवाकर सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाया है। विपक्षीगण मिलावट करते रंगे हाथ पकड़ाया है जिसकी सम्पुष्टि जप्ती सूची पर इनके हस्ताक्षर से होती है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति पम्प के कर्मी है जो कालाबाजारी का धंधा करते है।

अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

उल्लिखित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जप्त 7000 लीटर किरासन तेल कालाबाजारी के उद्धेश्य से लाया गया था। जप्त किरासन तेल को अधिग्रहित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि अधिग्रहित क़िरासन तेल की बिक्री जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से कारवाकर इससे प्राप्त राशि कोषागार में उंचित शीर्ष अन्तर्गत अविलम्ब जमा करवा दें।

इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 2757 विधि दिनांक 30-11-2015

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
जिला सूचना एवं विज्ञान आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

D:\Office File\Ajeet Kumar\Collector Order\Md. Sahjaha.docx

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा।
30.11.15